केनरा बैंक Canara Bank

Ref :: MD&CEO:SD: 1456/1457/11/12:2018 **June 30, 2018**

The Manager **The Bombay Stock Exchange Ltd.** **Phiroze Jeejeebhoy Towers** **Dalal Street,** **MUMBAI – 400 001**	**The Manager** **Listing Department** **National Stock Exchange of India Ltd** **EXCHANGE PLAZA** **Bandra-Kurla Complex, Bandra [E]** **MUMBAI 400051**

Dear Sir,

Sub : 16th Annual General Meeting – Addendum to Notice

We refer to our letter **MD&CEO:SD: 1442/1443/11/12:2018 dated 26/06/2018** and **MD&CEO:SD:1452/1453/11/12:2018 dated 28/06/2018.**

Subsequent to the issuance of the Notice dated 18th June, 2018 convening 16th AGM to be held on **Thursday, the 26th July, 2018 at 10.15 A.M.** at ***Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru – 560 001***, the Board of Directors of the Bank [on 27.06.2018] have approved the inclusion of following additional agenda:-

Agenda No.3 – Issue of Shares to Employees and Whole time Directors of the Bank

The Copy of the Addendum to the 16th AGM Notice along with the Original AGM Notice is enclosed. Please take the same on record.

Yours faithfully,

VINAY MOHTA
COMPANY SECRETARY

केनरा बैंक CANARA BANK Secretarial Dept HO Bangalore - 2 560 002 सचिवीय विभाग, प्रधान कार्यालय बेंगलूर

सचिवीय विभाग
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिवालय
प्रधान कार्यालय
112, जे सी रोड बेंगलूर - 560002

Secretarial Department
MD & CEO's Secretariat
Head Office
112 J C Road, Bengaluru - 560002

T +91 80 22100250
F +91 80 22248831

E -Mail : hosecretarial@canarabank.com www.canarabank.com

दिनांक 18.06.2018 की वार्षिक सामान्य बैठक नोटिस का परिशिष्ट

Addendum to AGM Notice Dated 18-06-2018

वार्षिक सामान्य बैठक

गुरुवार दिनांक 26 जुलाई, 2018, बेंगलूरु

Annual General Meeting

Thursday, the 26th July, 2018, Bengaluru

केनरा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Canara Bank
(A Government of India Undertaking)
Together We Can

सचिवीय प्रभाग
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का सचिवालय, प्रधान कार्यालय, 112, जे.सी.रोड, बेंगलूरु -560002

Secretarial Department
MD & CEO's Secretariat Head Office, 112, J.C. Road, Bengaluru - 560002
Email : hosecretarial@canarabank.com

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, 112, जे. सी. रोड, बेंगलूर - 560002

16 वीं वार्षिक सामान्य बैठक सूचना दिनांक 18.06.2018 का परिशिष्ट

गुरुवार दिनांक 26 जुलाई , 2018 पूर्वाहन 10:15 बजे ज्ञान ज्योति **ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु - 560 001** में वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने हेतु दिनांक 18 जून , 2018 को जारी सूचना के उपरांत, बैंक के निदेशक मंडल (दिनांक 27.06.2018 को) द्वारा कार्यसूची में निम्नानुसार अतिरिक्त मद शामिल करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है

मद संख्या 3 - कर्मचारियों और बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को शेयर जारी करना

विचार किए जाने और उपयुक्त समझे जाने पर निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

''**संकल्प लिया जाता है कि** बैंकिंग कंपनियों के प्रावधानों (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार (''अधिनियम''), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (''योजना'') और केनरा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 (''विनियम''), समय-समय पर संशोधित और भारतीय रिज़र्व बैंक (''आरबीआई'') के अनुमोदन, सहमति, अनुमतिय और प्रतिबंध, यदि कोई हो, के तहत , भारत सरकार (''जीओआई''), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी''), स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, जहां भी लागू हो और / या इस संबंध में किसी भी अन्य प्राधिकारी की आवश्यकता हो और ऐसे नियमों, शर्तों और संशोधनों के तहत जो उनके द्वारा इस तरह के अनुमोदन प्रदान करने हेतु निर्धारित किए जा सकते हैं और जिसमें बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमती दी जा सकती है और सेबी के प्रावधानों (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 तक संशोधित, आरबीआई, सेबी और अन्य सभी प्रासंगिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित, दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और समय-समय पर अन्य सभी लागू कानूनों के तहत अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण सेबी के प्रावधानों (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 {सेबी (एलओडीआर)} तक संशोधित है, बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ बैंक द्वारा एक समान सूचीकरण करार किया गया है और किसी भी लागू स्वीकृति (अनुमति), अनुमति (एस) और किसी भी प्राधिकारी के किसी भी स्तर पर मंजूरी, किसी भी शर्त और संशोधन (नों) के तहत ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किए या लगाए जा सकते हैं, और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा इस प्रकार की मंजूरी, अनुमति, सहमति और स्वीकृति दी जा सकती है, बैंक के शेयरधारकों द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद इसे ''बोर्ड'' के रूप में संदर्भित किया जाएगा तथा इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए, एक समिति शामिल होगी जो बोर्ड द्वारा गठित होगी या / गठन किया जा सकेगा) को भारत में या भारत के बाहर कार्य कर रहे कर्मचारियों को एकबार या कई चरणों में अनुदान, जारी करने और आवंटित करने के लिए सहमति प्रदान की जाती है, जिस अभिव्यक्ति में बोर्ड द्वारा तय बैंक के प्रबंध निदेशक और

केनरा बैंक Canara Bank

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

H.O., 112, J.C.ROAD, BENGALURU - 560002

Addendum to 16th AGM Notice Dated 18.06.2018

Subsequent to the issuance of the Notice dated 18th June, 2018 convening an AGM to be held on ***Thursday, the 26th July, 2018 at 10.15 A.M. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru - 560 001,*** the Board of Directors of the Bank [on 27.06.2018] have approved inclusion of additional agenda item as under:

Item No.3 - Issue of Shares to Employees and Whole time Directors of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchange (s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 {SEBI (LODR)} as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable approval (s), permission (s) and sanction (s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification (s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission (s) and sanction (s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank ("The Employees"), as

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक (''कर्मचारी'') शामिल होंगे, तथा सभी उद्देश्यों के लिए सभी मामलों में ,कर्मचारी शेयर खरीद योजना (इसके बाद ''कैन बैंक-ईएसपीएस'' के रूप में संदर्भित) लाभांश भुगतान सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समतुल्य श्रेणी के कुल 6,00,00,000 (छह करोड़) अंकित मूल्य के नए इक्विटी शेयर 10/- (केवल दस रुपये) प्रत्येक के लिए, बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकानुसार निर्णय लिए गए कीमत या कीमतों पर और इस तरह के नियमों और शर्तों पर लिया जा सकता है कि भारत सरकार का हिस्सा 51.00% से नीचे नहीं आता हो।

''**इसके अलावा संकल्प लिया जाता है कि,** बैंक द्वारा विनियम 15 में विनिर्दिष्ट सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 या किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन लेखा नीतियों का पालन करेगा ।''

''**इसके अलावा संकल्प लिया जाता** है कि ''कैनबैंक- ईएसपीएस'' के तहत जारी और आवंटित इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के साथ समान लिस्टिंग करार के नियमों और शर्तों के अनुसार बैंक के शेयर सूचीबद्ध करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता हैं''।

''**इसके अलावा यह संकल्प लिया जाता है** कि, बोर्ड द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर ''कैनबैंक-ईएसपीएस'' को कार्यान्वित करने, तैयार करने, विकसित करने, निर्णय लेने और लागू करने तथा इसमें कोई संशोधन करने के लिए बोर्ड को अधिकृत किया गया है , समय-समय पर ''कैनबैंक-ईएसपीएस'' के नियमों और शर्तों में परिवर्तन , भिन्नता , संशोधन, मूल्य, अवधि, पात्रता मानदंडों में संशोधन सहित, ''निलंबन'', रद्द या , ''कैनबैंक-ईएसपीएस'' को संशोधित या संशोधित करने के लिए बोर्ड अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों को सुलझाने के लिए भी जो संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं ''कैनबैंक-ईएसपीएस'' के कार्यान्वयन और प्रस्तावित ''कैनबैंक-ईएसपीएस'' के अनुसार जारी किए जाने वाले शेयरों को शेयरधारकों की अगली सहमति या अनुमोदन की मांग किए बिना या अन्यथा अंत में यह माना जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के अधिकारों के तहत स्पष्ट रूप से मंजूरी दे दी है।

''**इसके अलावा संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसा कोई बैंक अधिकारी बैंक द्वारा विनियम में विनिर्दिष्ट सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के अनुरूप लागू अन्य लागू कानून, और नियमों के अनुपालन हेतु उपर्युक्त संकल्प को प्रभाव मे लाने हेतु बोर्ड को प्रदत्त अपने सभी शक्तियों के साथ साथ किसी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए अधिकृत करती है''

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलुरु
तिथि: 28.06.2018

may be decided by the Board, aggregating up to 6,00,00,000 (Six crore) new equity shares of face value of Rs 10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "CanBank-ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 51.00%."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification (s), amendment (s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "CanBank-ESPS", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "CanBank-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification (s), change (s), variation (s), alteration (s) or revision (s) in the terms and conditions of the "CanBank-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment (s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "CanBank-ESPS" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "CanBank-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "CanBank-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee (s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws, rules and regulations."

By Order of the Board of Directors

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Place : Bengaluru
Date : 28.06.2018

टिप्पणियाँ

1. व्याख्यात्मक विवरणियाँ :

बैठक के कारोबार के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला स्पष्टीकरण वक्तव्य यहां संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है ।

2. ई-वोटिंग :

बैंक शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने के लिए कारवी के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है । शेयरधारक निर्देशों के अनुरूप ई-वोटिंग नोटिस में उन्हें प्रदान किए गए लॉगिन क्रेडेंसियल का उपयोग कर सकते हैं। दूरदराज क्षेत्र के लिए मतदान हेतु ई-वोटिंग पोर्टल 23 जुलाई 2018 सोमवार प्रात: 10.00 बजे से 25 जुलाई 2018 बुधवार शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा, (दोनों दिन मिलाकर)।

नोटिस की कार्यसूची मद सं. 3 का स्पष्टीकरणात्मक विवरण:

बैंक के कर्मचारियों को प्रेरित करने तथा उनमें अपनेपन की भावना बढ़ाने हेतु बैंक प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक सहित बैंक के स्थायी कर्मचारियों (पात्र कर्मचारियों) को नए इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार कर रहा है । यह प्रस्ताव दीर्घावधि संसाधनों की बढ़ती मांगों को पूरा करेगा और बेसल III आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक की पूंजी पर्याप्तता को भी सुदृढ़ करेगा ।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 [सेबी (एसबीईबी)] के अनुपालनार्थ बैंक केनरा बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना (''केनबैंक-ईएसपीएस'') नामक योजना तैयार कर रहा है । यह योजना बोर्ड की एक समिति द्वारा अभिशासित की जाएगी तथा लागू कानून के अनुपालन के अधीन होगी ।

वर्ष 2018-19 के लिए 7000 करोड़ रुपये की कुल पूंजी जुटाने की योजना में से केनरा बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना (केन बैंक-ईएसपीएस) के माध्यम से 60 करोड़ रुपये इक्विटी शेयर पूंजी (अर्थात प्रति 10 रुपये अंकित मूल्य के 6 करोड़ इक्विटी शेयर), भारत सरकार / सेबी / अन्य नियामक एजेंसियों आदि के अनिवार्य / नियामक मंजूरी के अधीन, एक या अधिक हिस्सों में अधिकतम 1000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित), इस तरह से कि भारत सरकार की धारिता 51% से कम नहीं हो जाए, जुटाने का बैंक के बोर्ड ने निर्णय लिया है ।

दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ाने के अलावा इस निर्गम का उद्देश्य है:

- बैंक कर्मचारियों के योगदान को मान्यता व प्रतिफल देना और बैंक के दीर्घावधि हितों के साथ कर्मचारियों के हित संरेखित करना; तथा
- कर्मचारियों के बीच स्वामित्व तथा अपनेपन की भावना में वृद्धि करना ।

योजना के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर सभी मामलों में लाभांश के भुगतान सहित, यदि कोई हो, तो बैंक द्वारा घोषित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे ।

सेबी (सूचीबद्ध देयता व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर)] के नियम 41 (4) तथा सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के नियम 6 के अनुपालनार्थ, बैंक पात्र कर्मचारियों को नए

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT :

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. E-VOTING :

The Bank is providing Remote e-voting facility to the shareholders through Karvy to cast their votes electronically. The shareholders may please follow the instructions and use the same login credentials provided to them in the e-voting notice. The portal for remote e-voting will remain open for voting from 10.00 a.m on Monday the 23rd July, 2018 to 5.00 p.m on Wednesday the 25th July 2018 (both days inclusive).

EXPLANATORY STATEMENT FOR THE AGENDA ITEM NO 3 OF THE NOTICE:

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new equity shares to its permanent employees including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank (Eligible Employees). The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 [SEBI (SBEB)], the Bank is formulating a Scheme namely Canara Bank Employee Share Purchase Scheme ("CanBank-ESPS"). The Scheme will be administered by a Committee of the Board and shall be subject to compliance with the applicable laws.

Out of total capital raising plan of Rs 7000 Crores for the year 2018-19, the Board of the Bank has decided to raise Equity share capital upto Rs. 60 crore (i.e. upto 6 crore equity shares with face value of Rs.10/- each), through Canara Bank Employee Share Purchase Scheme (CanBank-ESPS) amounting to a maximum of Rs.1000 crore (including premium) in one or more tranches subject to mandatory/ regulatory approvals from the GoI/SEBI/Other regulatory agencies etc,in such a way that the Government of India holding does not fall below 51.00%.

The object of the issue, apart from raising of long term resources is:

- To recognize and reward the contributions made by the employees of the Bank and align the interests of the employees with the long term interests of the Bank; and
- To enhance the sense of belongingness and ownership amongst the employees.

The new equity shares proposed to be issued under the Scheme shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] and Regulation 6 of SEBI (Share Based

इक्विटी शेयर जारी करने और आबंटन करने हेतु विशेष संकल्प पर विचार कर रहा है ।

सेबी परिपत्र सं. सीआईआर / सीएफडी / नीति कक्ष / 2015, दिनांक 16 जून 2015 के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

ए. योजना की विस्तृत जानकारी :

बैंक लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन केन बैंक - ईएसपीएस के तहत सभी पात्र कर्मचारियों को प्रति 10/- रुपये के अंकित मूल्य के 6 (छः) करोड़ नए इक्विटी शेयरों की पेशकश करने पर विचार कर रहा है, पेशकश करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे भारत सरकार की धारिता 51.00% से कम नहीं हो जाए ।

बी. दिए जाने वाले कुल शेयरों की संख्या :

केनबैंक-ईएसपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों को कुल मिलाकर 6,00,00,000 (छः करोड़) नए इक्विटी शेयर पेश किए जाने का प्रस्ताव है ।

सी. केन बैंक ईएसपीएस के लाभार्थी और उसमें भागीदार बनने वाले कर्मचारियों के वर्गों की पहचान:

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक (निदेशकों) सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी ।

डी. निहित आवश्यकताएं और निहित अवधि:

लागू नहीं हैं ।

ई. अधिकतम अवधि मामले के अनुसार, सेबी (एसबीईबी) विनियमों के नियम 18 (1) और 24 (1) के अधीन जिसमें विकल्प / एसएआर / लाभ निहित होगा:

लागू नहीं हैं ।

एफ. प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य, खरीद मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला:

प्रस्ताव के समय निदेशक बोर्ड / समिति द्वारा प्रस्ताव मूल्य / खरीद मूल्य निर्धारित किया जाएगा । बैंक के पात्र कर्मचारियों को योजना के तहत आबंटित किए जाने वाले शेयरों के मूल्य में साप्ताहिक उच्च और जिस तिथि को बोर्ड / समिति ने प्रस्ताव / खरीद मूल्य निर्धारित किया है, उस तिथि से पूर्व दो सप्ताह के दौरान एनएसई पर उद्धृत इक्विटी शेयरों के भारित औसत मूल्यों के निम्न के औसत के 33.33% से अधिक की छूट नहीं होगी ।

जी. प्रयोग अवधि व प्रयोग की प्रक्रिया :

जिस अवधि के दौरान निर्गम खुला रहता है वह अवधि बोर्ड / समिति के निर्णयानुसार प्रयोग अवधि होगी । प्रयोग की प्रक्रिया में अन्य शर्तों के अलावा, पात्र कर्मचारियों को दी गई पेशकश, आवेदन प्राप्ति व सदस्यता राशि तथा योजना के अनुसार शेयरों का आबंटन शामिल होंगे ।

Employee Benefits) Regulations, 2014, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to Eligible Employees.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/ 2015 dated 16th June 2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME :

The Bank proposes to offer upto 6 (Six) crore new equity shares of face value of Rs10/- each of the Bank to all the Eligible Employees under CanBank- ESPS subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, to be decided at the time of making offer in such a way that the Government of India holding does not reduce below 51.00%.

B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED :

Up to 6,00,00,000 (Six crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Eligible Employees under the CanBank-ESPS.

C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE CanBank ESPS :

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank.

D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING :

Not Applicable.

E. MAXIMUM PERIOD {SUBJECT TO REGULATION 18 (1) AND 24 (1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE} WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/BENEFIT SHALL BE VESTED :

Not Applicable.

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The Offer Price / Purchase Price will be determined by the Board / Committee of Directors at the time of offer. The price of the Shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be at a discount of not more than 33.33% on the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the equity shares quoted on NSE during the two weeks preceding the date on which the Board/ Committee fixes Offer / Purchase Price.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE :

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter-alia, include offer made to the Eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

एच. प्रस्तावित ईएसपीएस हेतु कर्मचारियों की योग्यता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया:

पेशकश तिथि को पात्र कर्मचारी लागू विनियामक आवश्यकताओं तथा दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने के हकदार होंगे ।

आई. मामले के अनुसार सकल में तथा प्रति कर्मचारी विकल्प, एसएआर, शेयरों की अधिकतम संख्या जारी की जाएगी

इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित प्रति कर्मचारी नए इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या 7500 (सात हजार पांच सौ) इक्विटी शेयर या इस उद्देश्य हेतु गठित निदेशकों की समिति द्वारा निर्धारित होगी ।

बैंक सकल में अधिकतम 6,00,00,000 (छः करोड़) नए इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार कर रहा है और जारी करने के पश्चात प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले प्रस्तावित इक्विटी शेयर बैंक की चुकता पूंजी के 1.00% से अधिक नहीं होंगे ।

जे. योजना के तहत प्रति कर्मचारी प्रदान किए जाने वाले अधिकतम लाभ:

उपर्युक्त पैरा (I) में उल्लिखित के अनुसार योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करने के अलावा कोई अन्य लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है ।

के. क्या यह योजना सीधे बैंक द्वारा अथवा न्यास के माध्यम से लागू तथा अभिशासित की जाएगी:

प्रस्तावित योजना सीधे बैंक द्वारा लागू और अभिशासित की जाएगी ।

एल. क्या इस योजना में न्यास द्वारा माध्यमिक अधिग्रहण या कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गम अथवा दोनों शामिल हैं:

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक सीधे पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी करेगा ।

एम. कंपनी द्वारा न्यास को योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण राशि, उसकी अवधि, उपयोगिता, भुगतान शर्तें, आदि :

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक के नए इक्विटी शेयर सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किए जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए न्यास का गठन या न्यास को ऋण प्रदान करना लागू नहीं है ।

एन. माध्यमिक अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत (सेबी विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन) जिसे योजना के प्रयोजन के लिए न्यास द्वारा तैयार किया जा सकता है:

लागू नहीं हैं ।

H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS :

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines

I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE :

The maximum number of new equity shares per employee proposed to be issued under the Scheme is 7500 (Seven thousand five hundred) equity shares or as decided by the Committee of Directors constituted for the purpose.

The Bank proposes to issue maximum of 6,00,00,000 (Six crore) new equity shares in aggregate and equity shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1.00% of the post issue paid-up capital of the Bank.

J. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME :

Other than equity shares issued to the Eligible Employees under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the Employees.

K. WHETHER THE SCHEME (S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST :

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L. WHETHER THE SCHEME (S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH :

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Eligible Employees.

M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME (S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS ETC. :

Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Eligible Employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

N. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME (S) :

Not Applicable.

ओ. विवरण के प्रभावानुसार कंपनी सेबी (एसबीईबी) के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों की पुष्टि करेगी:

समय-समय पर लागू होने पर बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के नियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों का अनुपालन करेगा ।

पी. कंपनी के विकल्पों या एसएआर के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाने वाली पद्धती:

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार कर रहा है और इसके लिए विकल्प या एसएआर का मूल्यांकन लागू नहीं है ।

क्यू. अनुगामी विवरण, यदि लागू हो :

यदि बैंक अंतर्निहित मूल्य के प्रयोग से शेयर आधारित कर्मचारी लाभों को बढ़ाने का विकल्प चुनता है, तो कर्मचारी मुआवजे की लागत और इस हेतु संगणित कर्मचारी मुआवजे की लागत के बीच के अंतर को उचित मूल्य के उपयोग से मान्यता दी जाएगी तथा निदेशकों की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाएगा और बैंक के प्रति शेयर अर्जन (''ईपीएस'') व लाभ पर इस अंतर के प्रभाव को भी निदेशकों की रिपोर्ट में स्पष्ट किया जाएगा ।

यदि लागू हो, तो बैंक उपर्युक्त आवश्यकताओं का पालन करेगा ।

आर. अवरुद्धता अवधि:

वर्तमान ईएसपीएस के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2014 के अनुसार आबंटन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध किए जाएंगे।

निदेशक बोर्ड प्रस्तावित विशेष संकल्प पारित होने की अनुशंसा करता है ।

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) अपने हित के लिए पूर्वकथित संकल्प में विचारशील एवं रुचि रखते है। अन्य निदेशक संकल्प से संबद्ध अथवा रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलुरु
तिथि: 28.06.2018

O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS:

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, if applicable from time to time.

P. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs :

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE :

In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' report.

The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

R. LOCK-IN PERIOD :

The new equity shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI (SBEB) Regulations, 2014.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

The Managing Director & Chief Executive Officer, the Executive Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned Resolution (s) as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.

By Order of the Board of Directors

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Place : Bengaluru
Date : 28.06.2018

केनरा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

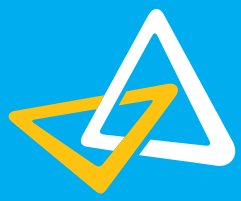

Canara Bank

(A Government of India Undertaking)

Together We Can

नोटिस

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की पन्द्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, गुरुवार, 26 जुलाई, 2018 को पूर्वाह्न 10.15 बजे ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर – 560 001 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा, लेखा द्वारा प्रावरित अवधि हेतु बैंक की कार्रवाई व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन–पत्र व लेखा पर लेखापरीक्षक के रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व लागू करना।
2. इसे विचारार्थ लेना एवं यदि सही पाया गया तो संशोधन सहित या संशोधन के बिना, निम्न विशेष संकल्पों को पारित करना :

"संकल्प लिया जाता है कि "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अतंरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और समय–समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक **("आर बी आई"),** भारत सरकार **("जी ओ आई"),** भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड **("सेबी")** और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमावली अर्थात सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 (आई सी डी आर विनियमावली)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतदद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद **"निदेशक मंडल"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड

NOTICE

Notice is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Thursday, the 26th July, 2018 at 10.15 A.M. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru – 560 001, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2018, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India **("RBI"),** the Government of India **("GOI"),** the Securities and Exchange Board of India **("SEBI"),** and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications / circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers

द्वारा गठित की गयी या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को / प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत् या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तो एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा/या अन्य अनुमत प्रतिभूतियाँ जो ईक्विटी में अतंरण के लिए सक्षम हो अथवा नहीं, सकल राशि जो ₹7,000 करोड़ (सात हजार करोड़ मात्र) से अधिक नहीं होगी, इक्विटी शेयरों पर निर्धारित प्रीमियम सहित ऐसे समय या समयों पर ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, बाज़ार मूल्य या मूल्यों पर छूट या प्रीमियम पर एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में ऐसे तरीके से है कि केंद्र सरकार हमेशा बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% से कम नहीं रखती है, जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय **("एन आर आई"),**कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों **("क्यू आई बी")** जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों **("एफ आई आई")** या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमावली / दिशानिदेर्शो के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमे से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बट्टा या प्रीमियम सहित होगी"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, निजी प्लेसमेंट / अर्ह संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों,

including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and / or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, **for an aggregate amount not exceeding ₹7,000 Crore (Rupees Seven Thousand Crore only),** inclusive of such premium as may be fixed on the Equity Shares at such time or times, at such price or prices, at a discount or premium to market price or prices in one or more tranches in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, including to one or more of the members, employees of the Bank, by way of ESPS. Indian nationals, Non-Resident Indians **("NRIs"),** Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers **("QIBs")** like Foreign Institutional Investors **("FIIs"),** Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity / preference shares / securities of the Bank as per extant regulations / guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) / or any other mode approved by GOI / RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009

सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2009 **(आई सी डी आर विनियमावली)** एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आई सी डी आर नियमनों की संबद्ध प्रावधानों के अनसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रुप से "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या/ मंजूरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तो के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय–समय पर अधिपत्रों को छोडकर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनिमय योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन **("ICDR Regulations")** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and / or underwriters and / or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and / or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as

दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूँजी का 51% से कम धारित न करता हो।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अनुसरण में

क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होगीं और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा ।

ख) बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हो, पर शेयर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है ।

ग) आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी ।

"आगे संकल्प लिया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा । "

"आगे संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा । "

defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"आगे संकल्प लिया जाता है कि जारी किये जाने वाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएँगे और ये बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जाने वाले किसी भी लाभांश, यदि है, के लिए पात्र होंगे ।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर /अधिमान शेयर /प्रतिभूतियों को आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर /प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामले और चीजें और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करना जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम,आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को किसी भी बुक रनर, लीड प्रबंधकों, बैकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, जमाकर्ताओं, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के इकविटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि/प्रतिभूतियों

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares / securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares / securities are to be allotted, number of shares / securities to be allotted

के रूपांतरण/अधिपत्रों का प्रयोग/प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर/अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा/प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है। "

"आगे संकल्प लिया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है। "

"आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीज़ें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीज़ें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा। "

"आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक/कों या निदेशकों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है। "

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 18-06-2018

in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue / conversion of Securities / exercise of warrants / redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director / (s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

By Order of the Board of Directors

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 18-06-2018

टिप्पणियां

1. **व्याख्यात्मक वक्तव्य**

   प्रदत्त पूँजी जुटाने से संबंधित मद संख्या 2 के संबंध में महत्त्वपूर्ण तथ्यों को स्थापित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण निम्न अनुबन्धित किया गया है ।

2. **प्रतिनिधि की नियुक्ति**

   बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है । प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात शनिवार, 21 जुलाई 2018 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा/दर्ज किया जाए।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

   बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कार्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में व संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात शनिवार, 21 जुलाई, 2018 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जाती है।

4. **पंजीकरण:**

   बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रकिया बैठक स्थान में दिनांक 26 जुलाई, 2018, गुरुवार को पूर्वाह्न 09.15 बजे से शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थित रहें।

5. **उपस्थिति पर्ची**

   शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची – सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों /

NOTES

1. **EXPLANATORY STATEMENT:**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 of the Notice regarding Raising of Paid up Capital is annexed below.

2. **APPOINTMENT OF PROXY:**

   A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 21st July, 2018.

3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

   No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 21st July, 2018.

4. **REGISTRATION:**

   In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 09.15 A.M. on Thursday, the 26th July, 2018 at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. **ATTENDANCE SLIP:**

   For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice.

प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। **शेयरधारक / प्रोक्सिधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन / जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन – मतदाता पहचान कार्ड / नियोक्ता पहचान कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि। बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल उपस्थिति वैध पर्ची – सह – प्रविष्टि पास के आधार पर दी जायेगी।**

6. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें ।

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : केनरा बैंक
कार्वी सेलीनियम टावर बी, प्लॉट संख्या 31–32
गाचीबौली, वित्तीय जिला, नानाकरामगुड़ा
हैदराबाद– 500 032

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई–मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को **hosecretarial@canarabank.com.** पर सूचित / पंजीकृत करें।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन/ईमेल आईडी सूचित करें।

7. बही बंद

बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में शेयर अंतरण बही और शेयर धारकों की पंजिका शुक्रवार 20 जुलाई 2018 से 26 जुलाई 2018 (दोनों दिनांक शामिल) तक बंद रहेगी।

Shareholders / Proxy Holders / Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. **Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.**

6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address

Karvy Computershare Pvt. Ltd
Unit : Canara Bank
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda
HYDERABAD – 500 032

Further, the shareholders are advised to inform / register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at **hosecretarial@canarabank.com.**

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

7. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Friday, the 20th July, 2018 to Thursday, the 26th July 2018 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

8. फोलियो का समेकन

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद शेयरधारकों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

9. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है यथा, वर्ष 2010–11 से 2014–15 व 2016–17 तक, उनसे अनुरोध है कि वे पुनर्वैधता / डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com में दावे करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण इनके वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये रूप से अंतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता । बैंक 18 अगस्त, 2018 को कथित निधि में वर्ष 2010–11 हेतु अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांश राशि को अंतरित करने की प्रक्रिया में है।

10. वार्षिक रिपोर्ट

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया यह नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण प्रति बैंक के वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड है। शेयरधारक वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं।

11. शेयरधारकों का मतदान अधिकार:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के

8. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

9. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods ie., for the years from 2010-11 to 2014-15 & 2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C / 125 of the Companies Act, 1 956 / 2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividend amount for the year 2010-11 to the said fund on 18th August, 2018.

10. ANNUAL REPORT:

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. Please note that the full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website.

11. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank,

समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है ।

12. ई–वोटिंग : [सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार]

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दिए गए मदों पर अपना मतदान इलैक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के संबंध में सभी शेयरधारकों को एक अलग संसूचना/नोटिस भेजा जा रहा है।

13. बैठक में मतदान

कार्यसूची के सभी मदों पर चर्चा होने के बाद अध्यक्ष सभी मदों के लिए मतदान करने का आदेश देंगे । इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए जाँचकर्ताओं द्वारा मतदान का आयोजन व पर्यवेक्षण किया जाएगा। ई–वोटिंग के नतीजों के साथ मतदान के नतीजों की घोषणा बैंक द्वारा उसकी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा ।

{नोट : इस बैठक के एजेन्डा मद हेतु कट–ऑफ / विनिर्दिष्ट तिथि 19.07.2018 है}

नोटिस की मद संख्या 3 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

1. बैंक का वर्तमान इक्विटी पूंजी ₹733.24 करोड़ है और यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.22% है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से कहीं अधिक है। यद्यपि, बैंक के कुछ विस्तारण योजनाओं, बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन व अनुवर्ती पूंजी प्रभार के मद्देनज़र पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने हेतु पूंजी को संवर्धित करने की आवश्यकता है।

2. बैंक ने यथा 20.07.2017 को आयोजित 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन सहित विभिन्न माध्यमों के द्वारा ₹3,500 करोड़ तक के शेयरों के नए निर्गम हेतु एक विशेष प्रस्ताव पारित किया था। इसके अतिरिक्त ₹3,500 करोड़ के अलावा ₹1,000 करोड़ (प्रीमियम सहित) की अतिरिक्त पूँजी जुटाने के लिए यथा 01.03.2018 को आयोजित विशेष सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव भी पारित किया, इस प्रकार कुल 4500 करोड़ रु. तक पहुंच गया ।

3. तथापि, बैंक ने अहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से वर्ष 2017–18 में ₹4,500 करोड़ जुटाने की योजना बनाई थी, विभिन्न कारणों से जारी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका। चूँकि अहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के लिए ₹4,500 करोड़ जुटाने हेतु प्रस्तावों की वैधता एक वर्ष

other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

12. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide Remote e-Voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. A separate communication / Notice is being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-Voting.

13. VOTING AT THE MEETING:

After all the agenda items are discussed, the Chairman will order Voting in respect of all the items. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. The Results of the Voting aggregated with the Results of e-Voting will be announced by the Bank on its Website and also informed to the Stock Exchanges.

{Note : For the Agenda Items of this meeting, the cut-off / specified date is 19.07.2018

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 2 OF THE NOTICE

1. The current Equity Capital of the Bank is ₹733.24 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2018 is 13.22 %, which is well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

2. The Bank had at its 15th AGM held on 20.07.2017 passed a special resolution for fresh issue of equity shares of upto ₹3,500 Crore(including premium) by way of various modes including Qualified Institutional Placement. Further, special resolution was passed in Extraordinary General Meeting held on 01/03/2018 to raise an additional capital of ₹1,000 Crore(including premium) in addition to ₹3,500 Crore, thus aggregating in all upto ₹4,500 Crore.

3. Though the Bank planned to raise ₹4,500 Crore in the year 2017-18 by way of Qualified Institutional Placements, the issue could not be completed for various reasons. As the validity of the resolutions obtained for raising ₹4,500 crore is restricted to one year for QIPs. The Board of Directors of the Bank

है। बैंक के निदेशक मंडल ने सरकार तथा वित्तीय संस्थानों, अहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन को अनुवर्ती जारीकरण, राइट्स जारीकरण, अधेमानी जारीकरण तथा पूँजी जुटाने के अन्य अनुमत माध्यमों सहित विभिन्न माध्यमों द्वारा ₹7000 करोड़ की पूँजी जुटाने के लिए निर्णय लिया है।

4. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को संवर्धित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यद्यपि, केन्द्र सरकार किसी भी समय में बैंक की प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 51% अनुरक्षित रखेगा ।

5. *सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह उपलब्ध कराता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिया जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले । कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें ।*

6. संकल्प, बैंक को जन इश्यू पर अनुसरण द्वारा, अधिकार इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / भा. रि.बै. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है । इश्यू आगम बैंक को समय–समय पर भा.रि.बै. द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को सशक्त करने में सक्षम करेगा ।

7. आगे, आईसीडीआर विनियमनों द्वारा परिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट करने हेतु संकल्प निदेशक मंडल को सशक्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किये बगैर बैंक हेतु निधि उगाही के लिये आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII के तहत निर्धारित अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है ।

आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती है, जिसक मूल्य "प्रासंगिक तिथि" के बाद के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो । "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है ।

have decided to raise Capital to the extent of ₹7000 Crores (including premium) through various modes including Follow-on Issue, Right Issue, Preferential Issue to Government and Financial Institutions, Qualified Institutional Placement and other permitted mode of raising capital.

4. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid – up equity capital of the Bank.

5. *The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.*

6. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares / preference shares/securities by way of Follow on public issue, rights issue and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI / RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

7. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

8. प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम व शर्तें प्रचलित बाजार परिस्थिति व अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकार, अग्रणी प्रबन्धकों व हामीदार व ऐसे अन्य प्राधिकरण व आवश्यकता अनुसार प्रधिकरण के साथ परामर्श में निर्धारित की जायेंगी।

9. चूकिं प्रस्ताव का मूल्य–निर्धारण बाद के स्तर के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अत: यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य उद्धृत किया जा सके । यद्यपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व समय–समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2000 एवं लागू जहां लागू या आवश्यक, के अनुसार किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमनों / सहमति अनुसार होगा ।

10. उपरोक्त कथित कारणों हेतु मुद्दे के शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में एक सक्षमकर्ता संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है ।

11. आबंटित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के साथ सभी संबंधों में समगति में है ।

    इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है । अत: उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपके सहमति का अनुरोध किया गया है ।

    निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित अनुसार विशेष संकल्प पारित करने हेतु सिफारिश करता है ।

    बैंक के किसी भी निदेशक का उपरोक्त उल्लिखित संकल्प में कोई हित या जुड़ाव नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण के, यदि है तो ।

निदेशक मंडल के आदेशों द्वारा

राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 18-06-2018

8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

10. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

11. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

    For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

    The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

    None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By Order of the Board of Directors

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place :Bengaluru
Date : 18-06-2018